Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 106-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023 (JYAISTHA 24, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जून, 2023

संख्या 9/22/2023–4क II.– हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9/22/2023–4क II, दिनांक 26 मई, 2023 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पिछड़े वर्गों'' शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर ''पिछड़े वर्गों 'क' '' शब्द, अक्षर तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''**3. समितियों की सीटों का निर्धारण.–** (1) प्रत्येक समिति की कुल सीटों की संख्या, सरकार द्वारा, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, ऐसी तिथि को, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के आधार पर निर्धारित की जाएगी :

परन्तु जहां परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम हो, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा।

उदाहरण.– (i) जहां परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 150 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत करने के बाद जनसंख्या 140 हो जाती है। इस दशा में, परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(ii) जहां परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 125 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत करने के बाद जनसंख्या 140 हो जाती है। इस दशा में, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनसंख्या अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(2) प्रत्येक समिति की निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित या पुनः निर्धारित की जाएगी :–

नगरपालिका की जनसंख्या	**सीटों की संख्या**
10,000 से अनधिक	12
10,000 से अधिक किन्तु 20,000 से अनधिक	14
20,000 से अधिक किन्तु 30,000 से अनधिक	16
30,000 से अधिक किन्तु 40,000 से अनधिक	18
40,000 से अधिक किन्तु 50,000 से अनधिक	20
50,000 से अधिक किन्तु 60,000 से अनधिक	22
60,000 से अधिक किन्तु 70,000 से अनधिक	24
70,000 से अधिक किन्तु 80,000 से अनधिक	26
80,000 से अधिक किन्तु 90,000 से अनधिक	28
90,000 से अधिक किन्तु 1,00,000 से अनधिक	30
1,00,000 से अधिक किन्तु 3,00,000 से अनधिक	32

(3) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्यों की सीटों की संख्या प्रत्येक समिति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी :–

$$\frac{\text{कुल सीटों की संख्या X अनुसूचित जाति की जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$ ''।

4. उक्त नियमों में, नियम 3–क का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 7 में,–

(i) खण्ड (ख) में, अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) अन्त में विद्यमान व्याख्या का लोप कर दिया जाएगा।''।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।